प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनाँक 12.11.2026

दहेज लोभी के विरुद्ध थाना बेलहरकला पुलिस की बड़ी कार्यवाही:- दहेज मृत्यु के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बेलहरकला ***श्री सर्वेश कुमार*** के नेतृत्व में में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 264/2026 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त नाम पता सिमिनी उर्फ नमन पुत्र स्व0 श्यामू भारती निवासी ग्राम कुशहरा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को अमरडोभा रुधौली दुर्गजोत मार्ग से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 07.09.2026 को वादिनी सन्तोला पत्नी मोहन ग्राम जातेडिहा दुबौलिया थाना- दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बेलहरकला पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादिनी की पुत्री रिंकाली जिसकी शादी ग्राम कुशहरा थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर निवासी किशन उर्फ श्यामू पुत्र स्व0 श्यामू भारती से हुई थी, वादिनी की पुत्री रिंकाली को विपक्षीगण द्वारा दहेज के लिए हत्या कर दिये हैं। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 264/2026 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त किशन उपरोक्त को दिनांक 10.09.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया था तथा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सिमनी उर्फ नमन उपरोक्त को आज दिनांक 12.11.2026 को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री विजय शंकर पाण्डेय, का0 विपिन प्रकाश व का0 कौशल सिंह।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जय प्रकाश दूबे*** की गठित टीम द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 1003/2026 धारा 2(b)(i), 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवा0 अधि0 1986** थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त धर्मवीर उर्फ कोल्हर पुत्र रामलखन उर्फ खेमई निवासी काजीपुर मेन चौराहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 12.11.2026 को कबीर चौरा आमी नदी पुल के पास से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

धर्मवीर उर्फ कोल्हर पुत्र रामलखन उर्फ खेमई निवासी काजीपुर मेन चौराहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0 592/2025 धारा 331(4),305(ए) 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
02. मु0अ0सं0 733/2025 धारा 331(4),305(ए) 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, का0 संतोष कुमार, का0 जितेन्द्र यादव ।

दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01. अंगद निषाद पुत्र गनेश निषाद 02. राजकुमार पुत्र बासु नीषाद निवासीगण पड़ोखर 03. संगीता पत्नी नौरंगी निवासी कसैला रोड बजरंगनगर बरदहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अजीत कुमार, श्री जावेद खान, हे0का0 सुनील कुमार. का0 भुपेन्द्र प्रताप सिंह, का0 बलराम यादव, का0 आकाश कुमार यादव, म0का0 खुशी।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 29 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 09 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 188 वाहनों से 3,18,100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 12.11.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 188 वाहनों से 3,18,100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी निरुद्ध

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री अजय कुमार सिंह*** की गठित टीम द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 741/2026 धारा 109 (1)/115 (2)/190/191 (2)/191 (3)/ 351 (3)/352 बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 01. इमामुद्दीन पुत्र ताहिर 02. अकिल पुत्र शकील निवासीगण गाई बसन्तपुर टोला हौदवां थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय रवाना किया गया तथा 02 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—* वादी श्री राम मदन पुत्र स्व0 धुपई निवासी गाईबसंतपुर टोला हौदवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर दिनांक 11.11.2026 को अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा लाठी डण्डा, लोहे की राड, धारदार हथियार से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया। थाना धनघटा द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त अभियुक्तगण को आज दिनांक 12.11.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया। तथा 02 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—* उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार यादव, हे0का0 प्रमोद कुमार राय, का0 आशुतोष पाण्डेय।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आपराधिक षणयंत्र कर नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में अभियुक्ता को 02 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 12.11.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्ता को 02 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक 21.12.2017 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना बखिरा पर अभियुक्ता नीलम पत्नी रामकेश गुप्ता निवासी सरहरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को आपराधिक षणयंत्र कर बहला फुसलाकर भगाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री सुन्दर प्रसाद द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 1888/2017 धारा 363/366/120बी भादवि व 16/17 पाक्सो एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्ता नीलम उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 120बी भा0द0वि0 के तहत दोषसिद्व करते हुए अभियुक्ता को 02 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।